राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 336 / 2022 GCMS No. 2022/868

1. रामेश्वरलाल
2. किशोरी लाल
3. कैलाशचन्द्र

} पि0 स्व. सोहनलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कुठानियां तह0 बुहाना

4. कमला पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी भोलाराम
5. कैला पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी रामकिशन
6. सुमन पुत्री स्व. भागवती पत्नी ग्यारसी लाल
7. अमन पुत्री स्व. भागवती पत्नी ग्यारसी लाल
8. विजेन्द्र पुत्र स्व. भागवती पत्नी ग्यारसी लाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण धानोता तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. नायब तहसीलदार, उप तहसील, सिंघाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक : 11.10.2023**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि गत खसरा नंबर 284 / 198 (नक्शा किश्तवार मोमीया में 284 / 298 दर्ज) रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कदीमी गै.मु. रास्ता स्थित है। जो कि ग्राम कुठानियां से पूर्वी ओर से चलकर भूमि गत ख.नं. 98 गै.मु. पाल से घुमकर पूर्वी और स्थित भूमि गत ख.नं. 198 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा नाला तक है तथा इस रास्ते के दक्षिण में वादीगण की भूमि हाल ख.नं. 354 रकबा 0.39 है. स्थित है जिसमें वह गांव कुठानिया से अपनी इस भूमि में इसी रास्ते से कदीम से आवागमन करते आ रहे हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सहवन से वंचित भूमि जिसका खसरा नंबर नहीं [illegible] गया हो नियमानुसार ग्राम के अंतिम खसरा नंबर से आगे वाला नंबर लेकर [illegible] जिसके पास में खसरा नंबर होता है वह दिया जाता है। पहचान के लिए निचे [illegible] वाला नम्बर दिया जाता है इस प्रकार नक्शे में नीचे वाला पास का नंबर 198 है इसलिए वादग्रस्त रास्ता [illegible] नंबर 284 / 298 को 284 / 198 ही माना जायगा जो जमाबंदी में भी 284 / 198 [illegible] वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि गत ख.नं. 284 / 198 भूमि गत ख.नं. 98 रकबा 16 बिस्वा के अंतिम उत्तरी छोर तक हाल रिकार्ड में गै.मु. रास्ता मौजूद है जिसे रिकार्ड में रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2024.01.12 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दर्शाया गया है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने सन् 1985 में हाल रिकार्ड बनाया उस समय उक्त भूमि गत ख.नं. 98 गै.मु. पाल एवं ख.नं. 201 के उत्तर में स्थित रास्ता को ख.नं. 198 में शामिल करते हुए नया ख.नं. 348 रकबा 1.00 है. नाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है। बन्दोबस्त विभाग ने सहवन या भूलवश गै.मु. पाल का क्षेत्रफल एवं उक्त वादग्रस्त रास्ते का आंशिक क्षेत्रफल 0.45 है. मिलाकर उक्त नाला का क्षेत्रफल 1.00 है. बना दिया है जबकि नाला का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा था जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 0.35 है. बनता है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त विवादित नाला का रकबा बढा दिया गया है। उक्तानुसार भूमि गत खसरा नंबर 284/198 का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा था जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के अनुसार क्षेत्रफल 0.65 है. बनता है, गत ख.नं. 198 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के हिसाब से रकबा 0.35 है. ही रकबा बनता है जिसमें गत ख.नं. 98 का रकबा 16 बिस्वा जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 0.20 है. बनता है उसे भी गत ख.नं. 198 जिसका नया ख.नं. 348 रकबा 1.00 है. बना दिया है उक्त रास्ते का रकबा 0.45 है. तथा गै.मु. पाल का रकबा 0.20 है. उसमें शामिल करके नाला का नया ख.नं. 348 रकबा 1.00 है. बना दिया गया है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त नाला में रास्ता का आंशिक रकबा एवं पाल का सम्पूर्ण रकबा मिला दिया गया है जो कि गलत है। उक्त वादग्रस्त रास्ता का रकबा घटाये जाने से रिकार्ड में रास्ता का रकबा घट गया है लेकिन मौके पर रास्ता आज भी बदस्तूर कायम है जिससे उक्त वादग्रस्त रास्ता जैसाकि नजरी नक्शे में ए,बी,सी,डी के मध्य सुर्खियों में दर्शाया गया है उक्त रास्ता का अस्तित्व खत्म कर उसे गै.मु. नाला के रूप में दर्ज कर दिया गया है जबकि मौके पर आज भी वादीगण उसे अपने खेत में आवागमन करने के लिए इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त रास्ता की स्थिति यही बनी रही तो वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका कभी मुद्रा में भरपाई नहीं हो पायेगी। इसलिए वादीगण को यह वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि गत खसरा नंबर 284/198 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कदीमी गै.मु. रास्ता जिसका पूरा विवरण दावा के उपरोक्त खण्डो में दिया जा चुका है उक्त रास्ता को पूर्व में जैसाकि नक्शा किश्तवार (मोमीया सन् 1939–40) में वादीगण के खेत ख.नं. 354 की पश्चिमी सीमा तक नजरी नक्शे में दर्ज ए, बी, सी, डी तक रास्ता व पाल को पाल घोषित किये जाने की कृपा करें इसी प्रकार वादग्रस्त रास्ता कायम करने की कृपा करें।

(ख) उपरोक्त रास्ता की संवत् 1998 के दिन स्थिति नक्शा किश्तवार (मोमीया सन् 1939–40) में ग्राम कुठानिया से वादीगण के खेत ख.नं. 354 की पश्चिमी सीमा तक जिसे नजरी नक्शे में दर्ज ए, बी, सी, डी तक दर्शाया गया है। इसी प्रकार रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करने की कृपा करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से तहसीलदार, गुढ़ा ने अपने पत्र क्रमांकः भू. अ./23/2330 दिनांक 25.07.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम कुठानिया के ख.नं. 345 रकबा 0.20 है. गै.मु. रास्ता व ख.नं. 348 रकबा 1.00 गै.मु. नाला राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख.नं. 345 रकबा 0.20 है. गत ख.नं. 284/198 से बना है। ख.नं. 348 रकबा 1.00 है. गत ख.नं. 198 व 284/18 से बने है। गत ख.नं. 184/198 का रकबा गत रिकार्ड में 2.10 बीघा रिकार्ड था जो कि गै.मु. रास्ता था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2024.01.12 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

वर्तमान बन्दोबस्त में गै.मु. पाल व विवादित रास्ते का आंशिक क्षेत्रफल गै.मु. नाला के रूप में दर्ज कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई है जो कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से सिद्ध होती है। पटवारी हल्का ने हरी स्याही से रास्ते के रकबे को चिन्हित किया है। उक्त के साथ पटवारी हल्का मोई सद्दा व भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावता खुर्द की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का मोई सद्दा व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भैसावता खुर्द की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नंबर 284/198 का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा था जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के अनुसार क्षेत्रफल 0.65 है. बनता है, गत ख.नं. 198 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के हिसाब से रकबा 0.35 है. ही रकबा बनता है जिसमें गत ख. नं. 98 का रकबा 16 बिस्वा जिसका आधुनिक मैट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 0.20 है. बनता है उसे भी गत ख.नं. 198 जिसका नया ख.नं. 348 रकबा 1.00 है. बना दिया है उक्त रास्ते का रकबा 0.45 है. तथा गै.मु. पाल का रकबा 0.20 है. उसमें शामिल करके नाला का नया ख.नं. 348 रकबा 1.00 है. बना दिया गया है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त नाला में रास्ता का आंशिक रकबा एवं पाल का सम्पूर्ण रकबा मिला दिया गया है जो कि गलत है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार तहसीलदार बुहाना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक क्रमांक 2330 दिनांक 25.07.2023 (प्रदर्श अ– 1लगायत अ–4) वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम कुठानिया स्थित भूमि गत खसरा नंबर 284/198 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कदीमी गै.मु. रास्ता जिसका पूरा विवरण दावा के उपरोक्त खण्डो में दिया जा चुका है उक्त रास्ता को पूर्व में जैसा कि नक्शा किश्तवार (मोमीया सन् 1939–40) में वादीगण के खेत ख.नं. 354 की पश्चिमी सीमा तक प्रस्तावित तहसीलदार बुहाना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक क्रमांक 2330 दिनांक 25.07.2023 (प्रदर्श अ– 1लगायत अ–4) के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक क्रमांक 2330 दिनांक 25.07.2023 (प्रदर्श अ– 1लगायत अ–4) इस निर्णय डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/10/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2024.01.12 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिलाझुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–   सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 336 / 2022   GCMS No. 2022/868

रामेश्वरलाल आदि **ब ना म नायब तहसीलदार** आदि

<u>दावा– घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>

वादीगण की ओर से श्री **रोहित पोषवाल एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार बुहाना में इस वाद में आज तारीख 11/10/23 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम कुठानिया स्थित भूमि गत खसरा नंबर 284 / 198 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कदीमी गै.मु. रास्ता जिसका पूरा विवरण दावा के उपरोक्त खण्डो में दिया जा चुका है उक्त रास्ता को पूर्व में जैसा कि नक्शा किश्तवार (मोमीया सन् 1939–40) में वादीगण के खेत ख.नं. 354 की पश्चिमी सीमा तक प्रस्तावित तहसीलदार बुहाना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक क्रमांक 2330 दिनांक 25.07.2023 (प्रदर्श अ– 1लगायत अ–4) के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक क्रमांक 2330 दिनांक 25.07.2023 (प्रदर्श अ– 1लगायत अ–4) इस निर्णय डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11/10/23-------- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2024.01.12 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested